

# कार्यालय- कुटुम्ब न्यायालय कोण्डागांव जिला - कोण्डागांव (छ०ग०)

//आदेश//

क्रमांक/ ०६/दो-12-03/2021

कोण्डागांव दिनांक 19/02/2025

कुटुम्ब न्यायालय कोण्डागाँव में भर्ती/चयन समिति, जिला न्यायालय कोण्डागाँव छ०ग० के द्वारा भृत्य के पद हेतु प्रेषित चयन सूची के अनुसार नीचे लिखे चयनित अभ्यर्थी को छ०ग० वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के पुनरीक्षित वेतनमान (वेतन बेण्ड 4750-7440 ग्रेड वेतन - 1300/-) लेवल- 1 (15600-49400) पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के परीवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से निम्नांकित नियमों एवं शर्तों के अधीन भृत्य के पद पर नियुक्त किया जाता है :-


क्र०	अभ्यर्थी का नाम व पता
01	विवेक कश्यप पिता श्री सुरेश कश्यप पता फारेस्ट कॉलोनी आलबेड़ापारा कोण्डागाँव पोस्ट + तहसील कोण्डागाँव जिला- कोण्डागाँव (छ०ग०) पिनकोड 494226

**शर्तें :-**

1. विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेगे।
2. आपको नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश आपके संबंध में स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. आपको अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो आपके जिले के हो अथवा जिला कोण्डागाँव के हो से प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
4. आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात् यदि स्थायी पद उपलब्ध होगा तो स्थायी किया जावेगा। अन्यथा आपकी सेवाएं अस्थायी तौर पर निरन्तर आगामी आदेश तक जारी रहेगा। परीवीक्षा में आपकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
5. छ०ग० शासन वेतन पुनरीक्षण अधिनियम 2017 के अंतर्गत अनुसूची- एक वेतन मैट्रिक्स के अनुसार भृत्य, के पद पर आपको वेतन बेण्ड (वेतन बेण्ड 4750-7440 ग्रेड वेतन -1300/-) लेवल- 1 (15600-49400) के वेतनमान में छ०ग० शासन, वित्त विभाग के अनुसार अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा।
6. आपको कार्यभार ग्रहण करते समय अपने संपूर्ण दस्तावेज जो आपने अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये हैं, की मूल प्रति एवं उनके एक-एक छायाप्रति किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेज से भिन्न अथवा असत्य पाई जाती है तो यह नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त माना जावेगा।

01C

7. यदि आपको पुलिस द्वारा चारित्रिक सत्यापन में किसी अपराध में संलिप्त रहना पाया गया तो यह नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त माना जावेगा।
8. आपके द्वारा इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् आगे की शिक्षा बिना पूर्व अनुमति के ग्रहण नहीं किया जायेगा। यदि आपको कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् बिना पूर्व अनुमति के शिक्षा ग्रहण करने का दोषी पाया जावेगा तो आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
9. आपके द्वारा इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् बिना अनुमति के किसी अन्य शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय एवं अन्य कोई संस्था में सीधे नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जावेगा। यदि आपके द्वारा बिना पूर्व अनुमति के ऐसा कृत्य किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
10. यदि कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत किसी कारण से आप शासकीय सेवा से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो एक माह पूर्व लिखित में सूचना कार्यालय को देनी होगी। अथवा एक माह की कालावधि की सूचना के बदले एक माह के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि चालान के माध्यम से जमा करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।
11. आपके कार्य व्यवहार एवं आचरण के बारे में संबंधित पीठासीन न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी से शिकायत प्राप्त होने की दशा में आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
12. आप आज्ञाकारिता के उत्कृष्ट मानदण्ड के अनुसार कार्य करेंगे एवं सौंपे गये कार्य को सहर्ष पूरा करेंगे।
13. आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, आपका जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र समुचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है एवं सत्यापन कराये जाने पर यदि आपका दावा झूठा प्रमाणित होता है तो आपकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आपके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी।
14. आपकी पदस्थापना जिला स्थापना कुटुम्ब न्यायालय कोण्डागाँव के अंतर्गत किसी भी न्यायालय/अनुभाग में की जा सकती है।

  
न्यायाधीश  
कुटुम्ब न्यायालय  
जिला- कोण्डागाँव

पृ०क्रमांक/०६-० / दो-१२-०३/२०२१  
प्रतिलिपि यथा आदेश :-

कोण्डागांव दिनांक १९ /०२/२०२५

१. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ०ग०) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
२. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटराईजेशन शाखा जिला न्यायालय कोण्डागाँव छ०ग० की ओर प्रेषित आदेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सहायक प्रोग्राफर को निर्देशित करे।
३. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- कोण्डागाँव (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
४. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कोण्डागाँव (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
५. विवेक कश्यप पिता श्री सुरेश कश्यप पता फारेस्ट कॉलोनी आलबेड़ापारा कोण्डागाँव पोस्ट + तहसील कोण्डागाँव जिला- कोण्डागाँव (छ०ग०) पिनकोड ४९४२२६ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय  
जिला- कोण्डागाँव